

11.5.18

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत थाने जापके  
द्वारा 2018 कैम्प खंडेल में पेश हुई सातेदारी प्रतिक  
की ओर से जवाब पेश हुआ जवाब में प्रतिवादी ने  
अंकित किया है कि नरेगा योजना के तहत ख.नं. 950  
जे. ४० तलाई में कार्य कराया जा रहा है तथा डारपी  
की आराजी में किसी प्रकार का कार्य नहीं कराया  
जा रहा है तथा प्रतिवादी ने यह भी जाहिर किया है  
कि विवादग्रस्त आराजी के संबंध में सिविल न्यायालय  
में वन्द विचारधीन है जिसमें भी माननीय सिविल  
न्यायालय में यह आदेश उदान लिये गये हैं कि शीघ्र  
प्रतिवादी के चारों ओर चार दीवारी के 20-20 फीट जगह  
छोड़कर ही नरेगा योजना के अंतर्गत कार्य कराया जाये।  
पत्रावली का अवलोकन किया व प्रतिवादी के कथनों के  
जवाब अनुसार वाद का निस्तारण लोक अदालत की भवना  
से इस प्रकार निस्तारण लिया जाता है कि वादी की आराजी  
ख.नं. 949 व 1053/946 वादे ग्राम भसीपुरा तह. फुल्से में  
प्रतिवादीगण किसी प्रकार का खुदर कार्य नहीं करें। पंचा डिक्री  
जाही है। पत्रावली केश ल कुमाव दोकर हरिवल हफ्तर हो व  
द्वारा नखर से कम हो। आदेश आज अक्त में अदालत सेवा लक्ष्मी  
में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
सांभर लोक